नशीली दवाओं के दुरूपयोग के संबंध में प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाना

1254. **श्री अजीत जोगी** :

श्री एस.एस. सुरजेवाला :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें कि:

(क) क्या नशीली दवाओं के दुरूपयोग की समस्या से निबटने के लिये वर्तमान व्यवस्था की समीक्षा करने हेतु गठित की गई उच्च स्तरीय समिति ने अपना प्रतिवेदन सरकार को प्रस्तुत कर दिया हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं;

(ग) सरकार द्वारा उस पर क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) यदि नहीं, तो उक्त प्रतिवेदन को प्रस्तुत करने में विलंब के क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (ग) समिति ने अभी अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की हैं।

(घ) मिश्रित विषयों की जांच की जा रही हैं।

स्वदेशी कॉटन मिल्स कंपनी लिमिटेड (उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत दावों का भुगतान

1255. **श्रीमती मालती शर्मा** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें कि:

(क) क्या सरकार स्वदेशी काटन मिल्स कंपनी लिमिटेड (उपक्रमों का अधिग्रहण और स्थानांतरण) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत आने वाले अंतिम श्रेणी के बहुसंख्यक दावेदारों के दावों के भुगतान के लिए कोई प्रयास कर रही हैं;

(ख) सरकार द्वारा अब तक कितनी धनराशि आवंटित की गई हैं और उपरोक्त धनराशि का किन-किन श्रेणियों के दावेदारों को भुगतान किया गया हैं और क्या सरकार अंतिम श्रेणी के दावेदारों को शीघ्र भुगतान करने का विचार रखती हैं; और

(ग) यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं , तो इसके क्या कारण हैं?

श्रम मंत्री और वस्त्र मंत्री (श्री जी. वेंकट स्वामी) : (क) स्वदेशी काटन मिल्स कंपनी लि. (उपक्रमो का अधिग्रहण तथा अंतरण) अधिनियम, 1986 की धारा 20 (2) के अंतर्गत यदि आयुक्त को अदा की गयी राशि किसी भी निम्न श्रेणी में विशिष्ट देयताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं होता हैं तो उस स्थिति में उन्हे ऐसे निम्न श्रेणी के संबंध में किसी भी दावे को जांच करने की आवश्यकता नहीं होगी।

(ख) उपर्युक्त अधिनियम के अंतर्गत आबंटित की गयी 26,27,00,000.00 की कुल राशि में से 3,78,01,499.00 की राशि पहले से ही श्रेणी 1 के अंतर्गत दावेदारों को अदा कर दी गयी हैं। 1857 बकाया दावों में से 18 दावे श्रेणी 2 के अंतर्गत आते हैं जो कि राष्ट्रीयकृत बैंकों तथा एन.टी.सी. से संबंधित हैं तथा इसमें 51.32 करोड़ रू. की राशि अंतर्निहित हैं, जबकि आयुक्त के पास मुआवजे की बकाश राशि 22,48,88,500.80 हैं। इन दावों पर कार्यवाही चल रही हैं बाकी 1839 मामले निम्न श्रेणियों से संबंधित हैं तथा इन पर श्रेणीवार कार्रवाई अधिनियम के उपबंधों के अनुसार श्रेणी-2 के दावों को निपटाने के बाद की जाएगी।

(ग) श्रेणी-3 अंतिम श्रेणी हैं और इस पर श्रेणी-5 के दावों को अंतिम रूप से निपटाने के बाद तथा उपरोक्त अधिनियम की धारा 19-ग के अनुरूप बचे बेशी होने पर कार्रवाई की जा सकती हैं।

Conversion of Bhuj LPT into HPT

1256. SHRI ANANTRAY DEV-SHANKER DAVE: Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING be pleased to state:

(a) whether any request from the State Government of Gujarat for conversion of Bhuj LPT into HPT is pending with his Ministry in view of its being near to sensitive international borders both by land and sea in order to discourage viewing of foreign TV programmes;

(b) if so, the action taken thereon, so far, and

(c) the time schedule so made for the early conversion?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRI P.M. SAYEED): (a) Request have been received from Government of Gujarat in this regard from time to time.

(b) and (c) The Low power TV Transmitter functioning at Bhju since 1906 had been replaced by a High Power (10 KW) TV Transmitter since 1994.

Compensation to Account Holders by Bank of India

1257. SHRI GHUFRAN AZAM: will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether Bank of India, Eastern Zone has not yet cleared the payment of compensation to various Account holders whose accounts were withheld due to banks own defaults;

(b) whether representations in this regards have not yet been sorted out; and

(c) if so, the facts and details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (DR. DEBI-FROSAD PAL): (a) Bank of India has reported that there is no claim pending with them for which they have admitted/ agreed to pay compensation.

(b) and (c) According to the bank, no representation as regards compensation is pending except one at its Lindsay Street Branch. The bank has further reported that M/s. Bcncyog who were maintaining C/D Account with the Lindsay Street Branch had refused to accept the amount of interest @ 5% on the amount of Rs. 72,775/- lying in the account of the deceased. Instead the claimant is demanding an exhorbitant sum of Rs. l,25,00O/- towards compensation which is untenable.

Liquidity Crisis in Nationalised Banks and Financial Institutions

1258. SHRI YERA NARAYANA-SWAMY: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that there is a liquidity crisis in nationalised banks and financial institutions;

(b) if so, the reasons therefor;

(c) what would be the negative impact of the liquidity crisis in the needs of agriculture;

(d) whether the agriculture sector would suffer due to lack of credit in 1996-97; and

(e) in what manner Government propose to solve this problem?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (DR. DEBI PROSAD PAL): (a) to (e) No, Sir. There has been significantly larger credit expansion by both commercial banks and financial institutions. Between March 17, 1995 and February 16, 1996 the scheduled commercial banks have supplied Rs. 43386 crore of non-food commercial credit recording a growth rate of 22.9 per cent as against Rs. 29937 crore (19.5 per cent) provided by them between March 18, 1994 and February 17, 1995. The financial assistance discharged by the All India financial institutions has also similarly grown from Rs. 23478.4 crore during April-January 1994-95 to Rs. 26587.9 crore during April-January, 1995-96. Given the lower rate of inflation in the current financial year compared to the previous financial year, the increase in non-food credit of the scheduled commercial banks and in the financial assistance of the development finance institutions is even larger in real terms.

पाल का अवैध आयात

1259. **श्री नागमणि** :

श्री कनलकसिंह मोहन सिंह मंगरोला :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें कि:

(क) क्या यह सच हैं कि पिछले तीन वर्षो में सीमा-शुल्क अधिकारियों और राजस्व आसूचना निदेशालय में उचित समन्वय न होने के कारण वस्तुओं के अवैध आयात में वृद्वि हुई हैं; और

(ख) यदि हां, तो अवैध आयात पर नियंत्रण के लिये सरकार द्वारा क्या-क्या उपाय किये जा रहे हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) जी, नहीं। ऐसी कोई सूचना नहीं हैं जिससे सीमा शुल्क अधिकारियों और राजस्व आसूचना निदेशालय के बीच उचित समन्वय न होने का पता चलता हो और इस प्रकार इस कारण से अवैध आयात में कोई वृद्वि नहीं हुई हैं।